# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 10/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री गोविन्द राम शर्मा उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री भरत लाल शर्मा निवासी गनीपुर रोड, सिकराय, मैसर्स बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
:अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.10.2018 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्सः— बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरत लाल शर्मा निवासी गनीपुर रोड सिकराय उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विकेता की दुकान निर्माण स्थल पर एल्यूमिनियम की 2 बडी परात में करीब 60 किग्रा मावा आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर एक परात जिसमें करीब 30 किग्रा मावा (खोया) में से 1 किलोग्राम मावा नमूने की जॉच हेतु हिला मिलाकर एक साफ सूखी स्टील ट्रे में खरीदा। जिनकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा को 4 साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर–बराबर डालकर फॉर्मलिन की 20–20 बूंदे डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**–2014 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.10.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1733/एक्ट/2018/416 दिनांक 16.11.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) के सैम्पल में **Titratable acidity (Lactic acid)** की मात्रा 1.49 प्रतिशत पायी गयी है। जो कि 0.90 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस कारण जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाती है। पूर्व में हमारी डेयरी से लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये है। हमोर यहां पनीर बनाने का काम भी किया जाता है। जिसमें फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, हो सकता है मावा बनाने में जो दूध काम में लिया जाता है उसमें पनीर वाला दूध मिक्स हो गया हो इसके कारण अनजाने में यह गलती हो गई हो। अतः प्रथम बार हुई गलती के लिये कम से कम शास्ति लगाने का श्रम करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1733/एक्ट/2018/416 दिनांक 16.11.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मावा (खोया) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरत लाल शर्मा निवासी गनीपुर रोड, सिकराय, मैसर्स बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, दौसा पर 20000/—-( अक्षरे बीस हजार रूपये ) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.03.2019 के एक माह के अन्दर—अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/736-38

दिनांकः— 27.03.2019

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री भरत लाल शर्मा निवासी गनीपुर रोड, सिकराय मैसर्स बालाजी पनीर उद्योग, गनीपुर रोड, सिकराय, दौसा

( लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official